भीम BHIM

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
कार्यालय, समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2020 एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

वैबसाइट विज्ञापन संख्या: 28/2020 दिनांक 11.02.2021 (मूल विज्ञापन संख्या 01/2020 दिनांक 13.06.2020)

—:अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना:—

प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2020 के परिणाम उपरान्त दिनांकः 11.02.2021 तक जारी ऑनलाइन संस्था रिपोर्टिंग/ऑनलाइन अपवार्ड मूवमेण्ट सहमति प्रस्तुत करने के बाद आज दिनांकः 11.02.2021 द्वितीय चरण का अपवार्ड मूवमेण्ट का आवण्टन एवं संस्था आवण्टन का तृतीय चरण अधिकृत वैबसाइट (https://predeled.com/) पर जारी किया जाता है। संस्था आवण्टन की सूचना अभ्यर्थियों के लॉगिन एवं मोबाईल नम्बर पर प्रेपित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के लॉगिन से संस्था/संस्था आवण्टन पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑनलाइन संस्था/संस्थान रिपोर्टिंग का चरणवार कार्यक्रम निम्नानुसार है।

ऑनलाइन काउन्सलिंग के चरण	दिनांक/अवधि
शुल्क राशि रू. 13555/— का भुगतान ई—मित्र, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के अतिरिक्त बैंक के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा किया जाना।	दिनांकः 12.02.2021 से दिनांकः 16.02. 2021
अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिये आवण्टित अध्यापक शिक्षा संस्था/संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना। ।	दिनांकः 12.02.2021 से दिनांकः 17.02. 2021
संस्था द्वारा स्वयं के लॉगिन से आवण्टित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का प्रमाणीकरण करना	दिनांकः 12.02.2021 से दिनांकः 17.02. 2021
ऑनलाईन दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्लॉट की दिनांक एवं समय बुक करना।	दिनांकः 12.02.2021 से दिनांकः 18.02. 2021
अभ्यर्थी द्वारा चयनित वीडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग स्लाट में संस्था एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन समन्वय स्थापित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिपोर्टिंग करना।	दिनांकः 12.02..2021 से दिनांकः 19.02. 2021

नोटः— द्वितीय चरण के अपवार्ड मूवमेण्ट अभ्यर्थियों का शुल्क पूर्व में जमा हो चुका है अतः इन्हे नवीन आवण्टित संस्था में पुनः किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जमा नहीं करवाना है। अपवर्ड मूवमेण्ट से नवीन संस्था आवण्टित अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का नवीन संस्था द्वारा पुनः प्रमाणीकरण अनिवार्य है एवं उक्त अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन पश्चात स्वयं के लॉगिन से ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु वीडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग स्लाट बुक करके नवीन आवण्टित संस्था में वीडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। उक्त अभ्यर्थियों का पूर्व आवण्टित संस्थान से प्रवेश निरस्त किया जाकर नवीन अभ्यर्थियों का आवण्टन किया जा चुका है।

(पालाराम मेवता)
समन्वयक

Scanned by CamScanner